तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/01/26 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी	
22/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली वास्ते दिनांक 09/03/2026 को पेश हो। Sd/- 22/01/26	
09/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसी न्यायालय से निर्णित तरमीम दुरस्ती प्रकरण सं० 148/2024 उनवान नारायण बनाम सोहनलाल, TDR Raipur की मौका रिपोर्ट दिनांक 19/11/2024, 07/11/2025 व 30/12/2025 का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी के ख०नं० 771/94 एवं अप्रार्थी 1 के ख०नं० 94 की राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम हो रखी है जिससे विवाद उत्पन्न होना जाहिर होता है। तरमीम दुरस्ती के आदेश [illegible] 148/2024 मे दिये गये खुद [illegible] पर वर्षो से पड़त [illegible] अप्रार्थी 1 द्वारा अपनी भूमि पर वर्षो [illegible] काश्त होना भी जाहिर होता है। अत: ना तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:17 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	के अधिकारों का हनन करना और ना ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना पाया जाता है। प्रार्थी की भूमि से होकर बरसों से ही प्रचलित रास्ता व खाल बना होना पाया जाता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा संतुलन साबित नहीं है।
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [redacted] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner